न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 06/2025 आर्म्स अपील (GCMS/2025/112)
पंजीयन दिनांक - 07.05.2025
आदेश दिनांक - 28.01.2026

श्री शंकरलाल पिता स्व. माणकचन्द्र जवणा, निवासी महुडिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़

-अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान राज्य लोक अभियोजक, उदयपुर

-प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम, 1959 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2024/2372 दिनांक 31.12.2024

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2024/2372 दिनांक 31.12.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री शंकरलाल पिता स्व. माणकचन्द्र जवणा, निवासी महुडिया, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ ने अपने पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से बारहबोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र हस्तांतरण बाबत आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- प्रकरण में संबंधित विभागों (जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, उप वन संरक्षक प्रतापगढ़, अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी विशा जोन उदयपुर, तहसीलदार छोटीसादडी, उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौडगढ़ एवं राज्य विशेष शाखा सीआईडी सुरक्षा, जयपुर) से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी विशा जोन उदयपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक को वर्तमान में फसल

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

सुरक्षा संबंधित कोई खतरा ज्ञात नहीं होना तथा जिस उद्देश्य के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति चाही है प्रार्थी को उसकी आवश्यकता नहीं होना एवं कृषि सुरक्षा हेतु आग्नेय शस्त्र की आवश्यकता के संबंध में अन्य विभागों द्वारा भी कोई विभागीय टिप्पणी नहीं किये जाने से प्रस्तुत आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2024/2372 दिनांक 31.12.2024 से खारिज किया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम, 1959 के प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि** अपीलार्थी के पिता माणक चन्द्र जणवा का निधन दिनांक 12.04.2021 उपरान्त उनके पिताजी द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 05.01.2011 अनुसार उसके सभी भाई-बहनों के हस्ताक्षर होकर आपत्ति नहीं होने से वसीयत व विरासत के आधार पर आर्म्स अनुज्ञा पत्र 307/1987 हस्तातंरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा सभी संबंधित विभागों से जांच रिपोर्ट प्राप्त की तथा सभी विभागों ने अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण करने में कोई आपत्ति अंकित नहीं की है। अति. पुलिस अधीक्षक सीआईडी विशा जोन उदयपुर की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को वर्तमान में फसल सुरक्षा संबंधित कोई खतरा ज्ञात नहीं होने तथा जिस उद्देश्य के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति चाही है प्रार्थी को उसकी आवश्यकता नहीं होने के दृष्टिकोण से जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया, जो विधि अनुकूल नहीं है।

- अपीलार्थी का खेत व मकान आबादी से दूर होकर उसको देर सवेर वहां पर आना-जाना, अपीलार्थी के पास अफीम का अनुज्ञप्ति होकर अन्य काश्त की फसल भी करता है तथा खेत जंगल के पास होने से उसमें आये दिन सुअर, बन्दर, भालु व निल गाये आदी जानवर फसलों का नुकसान करते रहते है तथा अफीम अनुज्ञप्ति होने से बहुत ज्यादा रिस्क रहती है व उसके मकान पर आक्रमण का अंदेशा बना रहकर पुरे समय पर गस्त करनी होती है जिसमें बहुत अधिक सावधानी तथा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

पास में ही निमच मध्यप्रदेश की सीमा आ जाने से आये दिन चोरी चकारी तथा मुठभेड इत्यादि की जानकारी किये बगैर अपीलार्थी का वसीयत व विरासत के आधार आर्म्स अनुज्ञापत्र हस्तान्तरण का आवेदन पत्र बिना किसी औचित्य/वाजिब कारण के निरस्त कर दिया गया।

- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के निर्णय की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई तथा अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त की तो पता चला की, आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी को आवेदन निरस्त की जानकारी प्राप्त होते ही अधीवक्ता से संपर्क कर अविलम्ब प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-05 मयाद अधिनियम के पेश की गई। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध अस्वीकार कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

- *हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। न्यायहित में विलम्ब अवधि कन्डोन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा विरासत व वसीयत के आधार पर कृषि सुरक्षा की आवश्यकता के चलते शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस रिपोर्ट में फसल सुरक्षा संबंधित कोई खतरा प्रदर्श नहीं होने तथा इस संबंध में अन्य विभागों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होने से दिनांक 31.12.2024 को आवेदन निरस्त कर दिया गया।*

- अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मात्र सरसरी तौर पर औपचारिक कार्यवाही करते हुए बगैर समुचित विवेचन प्रकरण अस्वीकार कर दिया गया है।

- **उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह उचित समझा जाता है कि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ प्रकरण में नए सिरे से सुनवाई कर समस्त अद्यतन वैधानिक प्रतिवेदनों (latest statutory reports) के प्रकाश में गुणावगुण पर तीन माह में विधिसम्मत व्याख्यात्मक निर्णय (speaking order) पारित करें।**

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.02.2026 को जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के समक्ष प्रतिप्रेषित प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर